

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ / डीएलबी / 2017 / 284-475

दिनांक: 13/12/2017

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान

विषय:- राज्य सरकार के सफलतम 04 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक प्रकाशन के संबंध में।

राज्य सरकार के सफलतम 4 वर्षों के दौरान प्रदेश की सभी नगरीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में विभाग द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं अमृत योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, हृदय योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान, यूआईडीएसएसएमटी, सीवरेज परियोजना, सड़क मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य, पेयजल परियोजना, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट राज परियोजना, एनर्जी सेविंग परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अग्निशमन सेवाओं का विस्तार, गौरव पथ, आरयूआईडीपी फेज-तृतीय के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है।

इस संबंध में प्रदेश के माननीय मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुरूप समस्त नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये गये कार्यों पर आधारित पुस्तिका अविलम्ब प्रकाशन करवाये एवं उसकी प्रति निदेशालय को भी भिजवायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 13/12/2017

क्रमांक:पीआरओ / डीएलबी / 2017 / 476-87

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब सम्पादित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
5. सीएमएआर एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जनसम्पर्क अधिकारी